पप्पू लाल वगैरह बनाम राज. सरकार
मुकदमा नम्बर 0135/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना–कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. पप्पू लाल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार उम्र 37 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।
2. धन्ना राम पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार उम्र 41 वर्ष निवासी खारड़िया तहसील नावां।

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नावां।

प्रार्थना पत्र बाबत :– शुद्धिकरण करने
अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

मुकदमा नम्बर :– 0135/2023 निर्णय दिनांक :– 22.12.2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 637/83 रकबा 1.0136 हैक्टर, खसरा नम्बर 639/84 रकबा 0.83 हैक्टर कुल रकबा 2.9636 हैक्टर भूमि में से 1/30 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 की व 1/30 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 1.61 हैक्टर भूमि में से 1/30 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 की व 1/30 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का नाम गलती से बिड़दाराम पुत्र भंवरलाल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक एवं सही नाम पप्पू लाल पुत्र भंवरलाल है तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम गलती से गणपतराम पुत्र भंवरलाल दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक एवं सही नाम धन्ना राम पुत्र भंवरलाल है। अन्य दस्तावेज सरकार रिकॉर्ड राशन कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, भामाशाह कार्ड, विद्युत बिल, अन्य खातेदारी जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 1 का नाम पप्पू लाल पुत्र भंवरलाल ही है तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम धन्ना राम पुत्र भंवरलाल ही है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का नाम गलत दर्ज हो गया जो सदभावी लिपिकीय गलती है जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 637/83 रकबा 1.0136 हैक्टर, खसरा नम्बर 639/84 रकबा 0.83 हैक्टर कुल रकबा 2.9636 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 1.61 हैक्टर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम बिड़दाराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर पप्पू लाल पुत्र भंवरलाल तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम गणपतराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर धन्ना राम पुत्र भंवरलाल का शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार नावां को दुरूस्ती हेतु लिखने बाबत निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

पप्पू लाल वगैरह बनाम राज. सरकार
मुकदमा नम्बर 0135/2023

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार नावां ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खारडिया के खसरा नम्बर 168, 637/83, 639/84, 82 में प्रार्थी संख्या 1 का बिड़दाराम पुत्र भंवरलाल एंव पप्पूलाल पुत्र भंवरलाल एवं प्रर्थी संख्या 2 का नाम गणपतराम पुत्र भंवरलालल एवं धन्नाराम पु. भंवरलाल एक ही व्यक्ति होना पाया है। बिड़दाराम के स्थान पर पप्पू लाल एंव गणपतराम के स्थान पर धन्ना राम नाम सही किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 637/83 रकबा 1.0136 हैक्टर, खसरा नम्बर 639/84 रकबा 0.83 हैक्टर कुल रकबा 2.9636 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 1.61 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 का नाम बिड़दाराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर पप्पू लाल पुत्र भंवरलाल तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम गणपतराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर धन्ना राम पुत्र भंवरलाल दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खारड़िया पटवार हल्का खारड़िया तहसील नावां की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 637/83 रकबा 1.0136 हैक्टर, खसरा नम्बर 639/84 रकबा 0.83 हैक्टर कुल रकबा 2.9636 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 82 रकबा 1.61 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी संख्या 1 का नाम बिड़दाराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर पप्पू लाल पुत्र भंवरलाल तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम गणपतराम पुत्र भंवरलाल के स्थान पर धन्ना राम पुत्र भंवरलाल दुरूस्त किया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार नावां को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार नावां को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2023 को सरे सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:17 IST
Reason: SelfAttested